

लीज अवधि प्रमाण-प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण खण्ड (सिविल) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), महोबा द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु सलईया-नाथूपुरा, लहचूरा-काशीपुरा, धवर्वा सिजवाहा, शिवहार व कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना जिला-महोबा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेयजल पाईप लाईन बिछाने से वन प्रभाग, महोबा की 1.9665 हे0 आरक्षित वन भूमि होगी, जिसे 30 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर लेने की आवश्यकता है। अतः प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रिमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रिमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की वचनबद्धता दी जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा जो मूल्य/प्रिमियम/लीज रेंट निर्धारित किया जायेगा उसे समय-समय पर भुगतान किया जायेगा।


Er. A.K. Awasthi
Assistant Engineer
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

निर्माण खण्ड (सिविल) उ0प्र0 जल निगम,
(ग्रामीण) महोबा